

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र)

पत्रांक- 299 / रेनुकूट / 15-108 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई, 21, 2022

सेवा में,

महाप्रबन्धक

नार्दन कोल फील्डस लि०

बीना विस्तार परियोजना

बीना-सोनभद्र ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वन भूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में । (ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/MIN/24551/2017) ।

संदर्भ:-

- 1-उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/२५ दिनांक- 12.04.2022
- 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2947/11-सी- FP/UP/MIN/24551/2017 लखनऊ दिनांक- 13.04.2022
- 3-इस कार्यालय का पत्रांक- 3298/रेनुकूट/15-108 दिनांक- 20.04.2022
- 4-आपका पत्रांक- 7 दिनांक- 13.07.2022

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक- 12.04.2022 द्वारा 18 बिन्दुओं पर कमियाँ इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों के निराकरण करते हुए वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभाग के संदर्भित पत्र दिनांक- 20.04.2022 द्वारा आपसे अनुरोध किया गया । प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक- 13.07.2022 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख प्रभाग में उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है :-

- 1- प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित दुगूने अवनत वन भूमि के डी०एस०एस० एनालिसिस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है । इस संबंध में कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-285/रेनुकूट/15 दिनांक- 20.07.2022 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए संलग्न किया जाय ।
- 2- एन०सी०एल० के संदर्भित पत्र 13.07.2022 द्वारा 21.61 हे० वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं विधिवत स्वीकृति आदेश में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसे उपलब्ध कराया जाय ।
- 3- एन०सी०एल० के संदर्भित पत्र दिनांक- 13.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये कास्ट में भूमि का वर्गीकरण किया गया है । वर्गीकरण में परियोजना के लिए कुल 2296.72 हे० भूमि एवं 30.5 हे० वन भूमि चयनित है । कृपया 2296.72 हे० भूमि का ग्रामवार/गाटावार विवरण राजस्व मानचित्र पर चिन्हित करते हुए उपलब्ध कराया जाय ।
- 4- एन०सी०एल० के संदर्भित पत्र दिनांक- 13.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को क्षेत्रीय वन अधिकारी अनपरा से सत्यापित कराने के उपरान्त उपलब्ध कराया जाय ।
- 5- उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रस्ताव की समस्त प्रतियाँ संलग्न कर वापस प्रेषित है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक- 285 / रेनुकूट / 15 दिनांक, रेनुकूट, जुलाई 20, 2022

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0,

अरण्य सदन, शीशमबाग,

सेक्टर-19, इन्दिरानगर,

उ0प्र0 लखनऊ 226001

apccfit-up@nic.in, apccfitup@gmail.com

विषय:- डी0एस0एस0 एनालिसिस प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवनत वन भूमि का चयन (के0एम0एल0 फाइल संलग्न) किया गया है। जिसकी सिंगल प्वाइन्ट जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नप्रकार है -

क्र0सं0	स्थल का नाम	शुद्ध/ प्रस्तावित क्षेत्रफल	सिंगल प्वाइन्ट जी0पी0एस0 कोर्डिनेट्स	
			अक्षांश	देशान्तर
1	जोगेन्द्रा क0सं0 1	20	N24.345949	E82.774474
2	जोगेन्द्रा क0सं0 3	30	N24.329464	E82.794646
3	वियहवा क0सं0 1	11	N24.319879	E82.828609

अतः आपसे अनुरोध है कि जी0आई0एस0 सेल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपरोक्तानुसार चयनित स्थल के डी0एस0एस0 एनालिसिस प्रमाण पत्र जारी कराने की कृपा करें, ताकि प्रकरण में प्रभाग स्तर से परिवेश पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

( मन्मोहन मिश्र )

प्रभागीय वनाधिकारी,

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र।

संख्या 285 / समदिनांक।

प्रतिलिपि : महाप्रबन्धक, नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, बीना, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न कराने का कष्ट करें।

( मन्मोहन मिश्र )